स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

एन एच बाई पास, पी बी नं.2277, पालारिवट्टम,

कोचीन -682025

टेली:0484-2333610-616

ई-मेईल : estt.sb-ker@gov.in

फ़ाइल सं. प्रशा.-1/स्थापना/सुरक्षा सेवा/मुख्या./2017 दिनांक : 15-03-2018

निविदा सूचना

स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय, सुगन्ध भवन, पालारिवट्टम, कोच्ची-682025 एवं "स्पाइस हाउस", कलूर, कोचीन-682017 में 01 मई, 2018 से सेक्यूरिटी सेवा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकारी/राज्य सरकारी विभागों (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी/ उपक्रम / स्वायत्त निकाय / एम एन सी सहित) में सेक्यूरिटी सेवा प्रदान करने में कम से कम पांच वर्षों का अनुभव रखने वाली रजिस्ट्रीकृत सेक्यूरिटी एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। स्पाइसेस बोर्ड कार्यालय परिसर में सुरक्षा सेवा प्रदान करने हेतु पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों से संविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

सभी तरह से पूर्ण संविदाएँ "**सुरक्षा सेवाओं केलिए निविदा**" उपरिलिखित मोहरबंद लिफाफे में ई एम डी सहित सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन-682025 के पते पर, बताई गई निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व प्राप्त होनी चाहिए।

1	कुल अपेक्षा	3 सेक्यूरिटी गार्ड (दो कर्मी मुख्यालय में और एक कर्मी "स्पाइस हाउस" में)
2	कार्य संबंधी विवरण	रात और दिन (आठ घंटे की ड्यूटी)
3	दर कोट की जानी है (सभी सहित)	एक कर्मी प्रति शिफ़्ट प्रति मास
4	ठेके की अवधि	एक वर्ष
5	आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख	10-04-2018; शाम 5.00 बजे
6	निविदाओं को खोलने की तारीख और समय	12-04-2018; शाम 3.00 बजे
7	निबंधन व शर्तें	अनुबंध -1 के रूप में संलग्न

संविदाएँ **स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय, सुगन्ध भवन, पालारिवट्टम, एन एच बाई पास, कोच्ची-682025** में **12-04-2018** को दोपहर बाद **3.00** बजे इसके लिए गठित समिति द्वारा संविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों, जो इस अवसर पर उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में खोली जाएंगी।

यह बोली निविदाओं के खोलने की तारीख से 180 दिनों तक वैध रहेगी।

स्पाइसेस बोर्ड, कोई भी कारण बताए बिना सभी या किसी भी संविदा को, निरस्त करने का अधिकार रखता है।

एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मी के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व:

1. कार्यालय परिसर की चल व अचल संपत्तियों की सुरक्षा के सभी सुरक्षा उपायों तथा व्यवस्था केलिए एजेंसी ज़िम्मेदार होगी तथा कार्यालय भवन के पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का प्रभार चौबीस घंटे हर दिन, रविवार, राष्ट्रीय छुट्टिओं और त्योहार छुट्टियों सहित, ले लें ।
2. बोर्ड द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार स्पाइसेस बोर्ड के विशेष अनुरोध पर एजेंसी अतिरिक्त कर्मियों को आबंटित करेगी ।

सचिव

अनुबन्ध -1

<u>निबंधन व शर्तें</u>

1. रुचि रखने वाली एजेंसियां सभी प्रकार से पूर्ण निविदाएँ सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोचिन-682025 के नाम पर लिए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 3,000/- रुपए(तीन हज़ार रुपए मात्र) की बयाना राशि के साथ प्रस्तुत कर सकती हैं। कोई अलग निविदा दस्तावेज़ नहीं है।
2. संविदाकार को केन्द्रीय / राज्य सरकारों तथा अन्य मान्य संगठनों में सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने में कम से कम पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। निविदा के साथ ऐसे सेवित ग्राहकों का विवरण भी दिया जाना चाहिए।
3. एजेंसी को निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी, जैसे :
   i) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र
   ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र
   iii) जी एस टी प्रमाणपत्र की प्रति
   iv) पैन कार्ड की प्रति
   v) कर विवरण की प्रति तथा
   vi) पी एस ए आर ए लाइसेंस (निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम) की प्रति

निविदा के साथ उपर्युक्त दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में चूक होने पर एजेंसी अयोग्य मानी जाएगी और ऐसे मामलों में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा और बयाना राशि को ज़ब्त किया जाएगा।

4. एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मी की आयू 50 वर्ष से कम होनी चाहिए और उसको चौबीसों घंटे उपस्थित होना चाहिए और ड्यूटी के समय वे हमेशा सचेत और सतर्क रहना चाहिए। सुरक्षा में लापरवाही के कारण बोर्ड को होनेवाले किसी भी नुकसान केलिए एजेंसी पूर्णत: उत्तरदाई रहेगी और तैनात किए गए व्यक्तियों के आचरण तथा व्यवहार केलिए एजेंसी ज़िम्मेदार रहेगी।
5. एजेंसी द्वारा हर महीने के पांचवीं तारीख को या उससे पहले गार्डों को इ-भुगतान के ज़रिए मासिक वेतन दी जाएगी और जब कभी बोर्ड मांग करें तो ऐसे भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।
6. एजेंसी द्वारा किसी उप-ठेकेदार को शामिल नहीं किया जाएगा और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को ठेका हस्तांतरित किया जाएगा। कर्मियों को तैनात करने से पहले गार्ड का पहचान प्रमाण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।
7. यहां पर उल्लिखित निबन्धन व शर्तों को एजेंसी द्वारा प्रारंभ किए जानेवाले ठेका समझौते का हिस्सा बनायेगा और इसे शामिल किया था, ऐसा माना जाएगा।
8. एजेंसी द्वारा लगाए गए किसी भी कर्मी को, यदि गैर–कानूनी और असहनीय कार्यों में शामिल होते हुए पाए गए तो, ठेके को तुरंत समाप्त करने के अलावा उसे पुलीस के हवाले किया जाएगा या उसके खिलाफ़ जो उचित हो, वह कार्रवाई की जाएगी।
9. गार्ड केलिए एजेंसी को अपने खर्च पर यूनिफ़ोर्म, लाठी, व्हिसिल आदि प्रदान किए जाने हैं।
10. किसी व्यक्ति को किसी कारणवश काम पर उपस्थित न होना पडे या काम केलिए अनुपयुक्त पाया जाय तो एजेंसी को उसकेलिए शीघ्र प्रतिस्थापन करना होगा । स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जब कभी मांग किए जाने पर एजेंसी अतिरिक्त व्यक्तियों का प्रबंध करेगी।

11. एजेंसी समय–समय पर लागू श्रम कानूनों के अनुसार स्पाइसेस बोर्ड में तैनात अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी और ड्यूटी के घंटे / छुट्टी / छुट्टियों आदि की निर्धारित संख्या सहित अन्य लाभों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी। एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि उनके गार्ड को सामाजिक सुरक्षा, सेवा–कर जो भी लागू होते हैं और सरकार / नगर पालिका द्वारा समय–समय पर लागू किए जानेवाले ऐसे अन्य वैधानिक आदेश सहित सभी श्रम कानून का अनुपालन करते हुए ई एस आई अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम जैसे सभी कानूनी अपेक्षाओं के अधीन शामिल किया गया है।

12. यह ठेका एक वर्ष के उपरांत स्वतः समाप्त हो जाएगा। सुरक्षा सेवा के निष्पादन के आधार पर यह सेवा एक ओर वर्ष केलिए बढाई जा सकती है।

13. यदि एजेंसी का निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है तो स्पाइसेस बोर्ड एक महीने की नोटिस देकर एजेंसी के साथ ठेका समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. किसी भी स्तर पर स्पाइसेस बोर्ड को तैनात किए गए कर्मियों के आवास, यात्रा, खाना, चिकित्सा, बीमा तथा अन्य किसी अपेक्षाओं के विषय में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।

15. सभी प्रकार के मामलों में, तैनात किए गए कर्मियों के "नियोक्ता" सेवा प्रदान करनेवाली एजेंसी होगी।

16. इस ठेके की समाप्ति पर या अन्यथा समाप्त होने के मामले में, एजेंसी द्वारा तैनात कर्मियों को किसी भी अवशोषण के लिए कोई दावा नहीं होगा और न ही मसाले बोर्ड में नियमित / अन्यथा स्थिति में अवशोषण के लिए कोई छूट होगी। ठेकेदार, तैनात किए कर्मियों को इस बात से अवगत कराएगा।

17. काम करते समय, तैनात किए गए व्यक्तियों की तबीयत खराब होने या दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में, संबन्धित व्यक्ति को उचित चिकित्सा सहायता देने की ज़िम्मेदारी एजेंसी की होगी।

18. किसी व्यक्ति के निष्पादन सन्तोषजनक न पाये जाने पर एजेंसी को अधोहस्ताक्षरी को सूचना देते हुए ऐसे व्यक्तियों के प्रतिस्थापन का प्रबन्ध तुरंत करना होगा।

19. सफ़ल एजेंसी को अपने खर्च पर 200/– रुपए के स्टैंप पेपर में एक समझौता (एम ओ यू) का निष्पादन करना होगा।

20. एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी शिफ़्टों में अपेक्षित संख्या में गार्ड नियुक्त किए गए हो। यदि किसी भी शिफ़्ट में, रात के शिफ़्ट सहित, किसी गार्ड की कमी पाई गई तो संस्थान की क्षति व नुकसान के रूप में उक्त अवधि के दौरान प्राप्त बिल से अनुपस्थित गार्ड के भुगतान की वसूली की जाएगी।